फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

देवकरण बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा–प्रा0पत्र 136 एल.आर.ए. मु0नं0– 11/2024

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/11/25	पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 403 रकबा 0.17 है0 जिसके साबिक खसरा नम्बर 92/2 मिन प्रार्थी की खातेदारी भूमि रही है जिसमें पुरानी नक्शाशीट में रास्ता दर्ज नहीं है लेकिन वर्तमान नक्शाशीट में रास्ता दर्ज कर दिया जिसे दुरूस्त कर साबिक नक्शाशीट अनुसार किया जावे। प्रकरण में उप तहसीलदार सिकन्दरा से रिपोर्ट तलब की गई। रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में गै0मु0 रास्ता दर्ज है एवं मौके पर भी रास्ता बना हुआ है एवं मौके पर चालू है। इसलिए वर्तमान में उक्त रास्ता मौके पर भी चालू है एवं राजस्व रिकॉर्ड में भी उसी अनुसार दर्ज है इसलिए प्रकरण में किसी प्रकार की दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा	